73

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश

R-1381-II/16

निगरानी प्रकरण क्रमांक -   सन् 2016

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा

2/5/16 को

धनुआ तनय रामदीन अहिरवार निवासी ग्राम कमौता
तह० व जिला छतरपुर म०प्र०   -- आवेदक

बनाम

2-5-16

म०प्र० शासन   -- अनावेदक

R-V Sharma

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 एवं आवेदन पत्र अन्तर्गत
धारा-32 म०प्र० भू० रा० सं० 1959

महोदय ,

आवेदक की ओर से निम्न विनय प्रस्तुत है :-

1. यहकि भूमि खसरा नं. 2665/2 कुल रकबा 2.122 हेक्टयर में से आवेदक को प्रकरण क्रमांक-1/अ-19/1997-98 पारित आदेश दिनांक 02/06/98 द्वारा आवेदक को खसरा नं. 2665/2 कुल रकबा 2.152 में से 0.505 हेक्टयर लगानी 1.25 पैसे स्थित ग्राम कमौता का भूमि स्वामी हक पर पट्टा स्वीकृत किया गया था पट्टे दिनांक से आवेदक द्वारा प्राप्त भूमि को काबिल कास्त बनाया गया है । आवेदक को पट्टे प्राप्त होने दिनां 02/06/98 से 18 वर्ष हो गये है आवेदक को अपनी जरूरी आवश्यकताओं के लिये पैसे की आवश्यकता थी जिसके लिये आवेदक द्वारा उक्त भूमि के विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने के लिये जिलाध्यक्ष कलेक्टर छतरपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया इस पर आज दिनांक तक दो वर्ष व्यतीत होने के बाद भी आज दिनांक तक आवेदक के प्रकरण का कोई निराकरण नही किया गया जिस कारण से आवेदक उपरोक्त भूमि की विक्रय की अनुमति हेतु माननीय न्यायालय में यह आवेदन पत्र निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई ।

-: आधार :-

1. यहकि आवेदक को तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ-19/97-98 में पारित आदेश दिनांक 02/06/98 द्वारा खसरा नं. 2665/2 के कुल रकबा 2.152 हेक्टयर में से 0.505 हेक्टयर का पट्टा स्वीकृत किया गया था जो शासन से प्राप्त भूमि है । पट्टा दिनांक से आवेदन दिनांक तक 18 वर्ष हो गये है शासन से प्राप्त भूमि अधिनियम की धारा-

-2-

R 1381-~~1~~/16

8.7.16	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण कमांक 1/अ–19/97–98 में पारित आदेश दिनांक 2. 6.98 के प्रस्तुत की गई। आवेदक अधिवक्ता द्वारा आदेश की प्रमाणित लिपि प्रस्तुत नहीं की है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा लगभग 18 वर्ष 2 माह से विलंब से प्रस्तुत की है । विलंब का कारण भी धारा –5 के आवेदन में समाधानकारक नहीं होने के कारण निगरानी प्रथम दृष्ट्या निरस्त योग्य है। अतः प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है । पक्षकार सूचित हों । सदस्य